



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237282
CG-DL-E-14072022-237282

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3026]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2022/आषाढ 23, 1944

No. 3026]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2022/ASHADHA 23, 1944

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

का. आ. 3184(अ).—भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 41 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को केंद्रीय परामर्शी परिषद (इसके पश्चात इसको परिषद के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की दिनांक 20 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 2666 में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधन करती है, नामतः-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी की क्र. सं. 12 से 21 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

सारणी

क्र. सं.	नाम	पदनाम
12.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गुजरात सरकार (अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित)	सदस्य (पदेन)
13.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कर्नाटक सरकार (अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित)	सदस्य (पदेन)

14.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश सरकार (अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित)	सदस्य (पदेन)
15.	अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, तेलंगाना सरकार (अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित)	सदस्य (पदेन)
16.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड सरकार (अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित)	सदस्य (पदेन)
17.	अध्यक्ष, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र	सदस्य (पदेन)
18.	अध्यक्ष, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)
19.	अध्यक्ष, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, हरियाणा (गुरुग्राम)	सदस्य (पदेन)
20.	अध्यक्ष, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, तमिलनाडु	सदस्य (पदेन)
21.	अध्यक्ष, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, पंजाब	सदस्य (पदेन)

2. जैसे कि इस अधिनियम की धारा 41 की उप-खंड/धारा (3) के अंतर्गत व्यवस्था की गई है, इस सारणी के क्रमांक 12 से 21 पर बारी- बारी से चयन किए गए सदस्य इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए ऐसे सदस्य के रूप में पद पर रहेंगे।

[फा. सं. ओ-17024/1059/2017-आवासन अनुभाग-एमएचयूपीए/ईएफएस-9023391]

सैलेश जोगियानी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

S.O. 3184 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 41 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) (hereinafter referred to as the Act) the Central Government hereby appoints the following officials specified in the table below, as members of the Central Advisory Council (hereinafter referred to as the Council), and for that purpose, makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Housing and Urban Affairs, number S.O. 2666 dated 20th November, 2017, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: —

In the aforesaid notification, for serial number 12 to 21 of the Table and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted namely: -

TABLE

Sl. No.	Name	Designation
12.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Gujarat (dealing with implementation of the Act)	Member (ex-officio)
13.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Karnataka (dealing with implementation of the Act)	Member (ex-officio)
14.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh (dealing with implementation of the Act)	Member (ex-officio)
15.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary,	Member (ex-officio)

	Government of Telangana (dealing with implementation of the Act)	
16.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Jharkhand (dealing with implementation of the Act)	Member (ex-officio)
17.	Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Maharashtra	Member (ex-officio)
18.	Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Uttar Pradesh	Member (ex-officio)
19.	Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Haryana (Gurugram)	Member (ex-officio)
20.	Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Tamil Nadu	Member (ex-officio)
21.	Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Punjab	Member (ex-officio)

2. The members at serial numbers 12 to 21 of the table, selected by rotation, as provided under sub-section (3) of section 41 of the Act, shall hold office as such member for a period of three years, from the date of this notification.

[F. No. O-17024/1059/2017-HOUSING SECTION-MHUPA /EFS-9023391]

SAILESH JOGIANI, Under Secy.